कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा

क्रमांक–अभिलेखागार/नीलामी/2020/ दिनांक : 04 सितम्बर, 2020

:: नीलामी सूचना ::

सर्वसाधारण, जिनमें फर्म एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं को सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार, जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाडा की लगभग 8–10 क्विंटल रद्दी जिसमें विडिंगशुदा पत्रावलियां व समाचार पत्र शामिल हैं, की सार्वजनिक नीलामी की जानी है।

यह नीलामी **दिनांक 14.09.2020 सोमवार** को **अपराह्न पश्चात 04:30 बजे** खुली नीलामी द्वारा की जावेगी। इच्छुक खरीददार दिनांक 14.09.2020 को 03:00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि जमा करवाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नीलामी की जाने वाली रद्दी एवं नीलामी शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय पर किया जा सकता है।

नीलामी शर्तें जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाडा की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/bhilwara पर भी देखी जा सकती हैं।

sd

अध्यक्ष
(रद्दी नीलामी समिति)
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भीलवाडा

क्रमांक– 1309 दिनांक : 04 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं चस्पानगी नोटिस बोर्ड–
1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा।
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर/चित्तौडगढ/टोंक/बूंदी/राजसमन्द
3. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, भीलवाडा
4. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, भीलवाडा न्यायक्षेत्र।
5. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
6. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाडा।
7. सार्वजनिक नोटिस बोर्ड, सूचना केन्द्र, भीलवाडा।
8. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर सेल, भीलवाडा को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर उपलोड करने बाबत्।
9. स्थानीय फर्म– ....

04.09.2020

अध्यक्ष
(रद्दी नीलामी समिति)
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भीलवाडा

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा
— रद्दी नीलामी की शर्तें —

इच्छुक खरीददार नीलामी तिथि को निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होकर निम्नांकित शर्तों के अधीन नीलामी बोली लगा सकते हैं—

1. यह नीलामी न्यूनतम बोली से आरम्भ की जावेगी। न्यूनतम बोली नीलामी के समय मौके पर सूचित की जावेगी। नीलामी दर प्रति क्विंटल के आधार पर स्वीकार्य होगी।

2. नीलामी बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को दिनांक 14.09.2020 को 03:00 बजे तक रूपए 500/— (अक्षरे पांच सौ रूपए) धरोहर राशि (earnest Money) जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि को नीलामी राशि में समयोजित किया जा सकेगा एवं अन्य को नीलामी समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि लौटाई जावेगी।

3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति को बिना कारण बताए नीलामी को निरस्त/स्थगित करने तथा बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. रद्दी उठाने से पूर्व क्रेता को नीलामीनुसार समस्त राशि मय जी.एस.टी. जमा करानी होगी, अन्यथा स्वीकृत बोली रद्द कर धरोहर राशि जब्त करते हुए क्षतिपूर्ति भी वूसल की जावेगी।

5. सफल बोलीदाता को रद्दी उठाने का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा, रद्दी की भराई, तुलाई, लदान, मजदूरी आदि का व्यय क्रेता स्वयं वहन करेगा।

6. रद्दी जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी दिवस को ही पूर्ण रूप से उठानी होगी, किसी प्रकार की छंटनी की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

7. रद्दी उठाने से पूर्व स्वीकृत अधिकतम बोली लगाने वाले क्रेता को रूपए 50/— के गैर न्यायिक (non-judicial) स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रद्दी का अग्रिम विक्रय नहीं कर, लुगदी बनाने हेतु ही रद्दी का उपयोग किया जावेगा।

8. रद्दी उठाने से पूर्व स्वीकृत अधिकतम बोली लगाने वाले क्रेता को इस आशय की परिवचन पत्र (undertaking) देना होगा कि वह भराई, लदान व परिवहन के समय रद्दी को बोरों में भरकर व ढककर पूर्णतया सुरक्षित रूप से उसके संग्रहण/ संधारण/ उपचार स्थल पर ले जावेगा।

04.09.2020

अध्यक्ष
(रद्दी नीलामी समिति)
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भीलवाडा